न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, चित्तौड़गढ

पीठासीन अधिकारी-हरिसिंह मीना (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :- डिक्री 401 सन् 2015
पंजीयन दिनांक :- 16.12.2015

नौसर पत्नि भुवाना जाति जाट निवासी पारोली हाल मुकाम बोलो का सांवता तहसील गंगरार जिला चित्तौड़गढ

-अपीलांट

विरूद्ध

1. भुवाना पिता जीतु जाति जाट निवासी पारोली तहसील व जिला चित्तौड़गढ
2. भूमिधारी तहसीलदार चित्तौड़गढ जिला चित्तौड़गढ

-रेस्पोडेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955
विरूद्ध निर्णय एवं डिक्री न्यायालय सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, चित्तौड़गढ़ केम्प कोर्ट रोलाहेड़ा
प्रकरण संख्या 34/2015 वाद निर्णय एवं डिक्री दिनांक 20.06.2015

उपस्थित- 1. रमेश चन्द दशोरा- अधिवक्ता अपीलान्ट
2. शिवनारायण जाट- रेस्पोडेन्ट सं. 1
3. पूरणमल स्वर्णकार- राजकीय अभिभाषक रेस्पोडेन्ट सं. 2

निर्णय **दिनांक :- 30.01.2023**

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलान्ट वादिया ने रेस्पोडेन्ट सं. 1 व 2 प्रतिवादीगण के विरूद्ध वादपत्र धारा 88,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत इस आशय का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम पारोली पटवार हल्का रोलाहेडा तहसील चित्तौड़गढ की खाता सं. 121 मे दर्ज आराजी संख्या 526, 622, 648, 649, 650, 658, 693, 694, 927, 1007, 1025 कुल किता 11 कुल रकबा 3.58 हैक्टेयर कृषि आराजीयात अवस्थित है जो अपीलान्ट वादिया के पति रेस्पोडेन्ट सं. 1 प्रतिवादी के नाम राजस्व रेकार्ड मे दर्ज है। अपीलान्ट वादिया रेस्पोडेन्ट सं. 1 प्रतिवादी की वैध विवाहिता पत्नि होने से उक्त विवादित कृषि आराजीयात मे अपीलान्ट वादिया का भी बराबर हक व हिस्सा निहित है। अपीलान्ट वादिया के कोई औलाद नहीं होने

राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ (राज.)

से रेस्पोडेन्ट सं. 1 प्रतिवादी बहकावे मे आकर उक्त विवादित कृषि आराजीयात को विक्रय रहन बह बक्षीश करने पर आमदा है, जबकि अपीलान्ट वादिया उक्त कृषि आराजीयात का शांतिपूर्ण उपयोग उपभोग करती चली आ रही है। रेस्पोडेन्ट सं. 1 प्रतिवादी उक्त कृषि आराजीयात को विक्रय करने की धमकी देकर कृषि आराजीयात को विक्रय करने पर आमादा है जिससे रेस्पोडेन्ट प्रतिवादी सं. 1 को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द कराया जाना आवश्यक है।

उक्त आशय का वादपत्र अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे अपीलान्ट वादिया की ओर से प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण रेस्पोडेन्टगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। उक्त पत्रावली दिनांक 25.03.2015 को वास्ते तामील नियत थी। अपीलान्ट वादिया ने अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली मे प्रार्थना पत्र आदेश 1 नियम 10 जाप्ता दिवानी प्रस्तुत कर उक्त प्रकरण मे क्रेता बरजी पत्नि लाभचंद जाति जाट निवासी पारोली तहसील व जिला चित्तौड़गढ को पक्षकार कायम किये जाने का आवेदन प्रस्तुत किया। जिसमे आगामी तारीख पेशी दिनांक 20.06.2015 नियत की गई। दिनांक 20.06.2015 को उक्त पत्रावली राजस्व लोक अदालत कैम्प कोर्ट रोलाहेडा मे नियत की गई जिसमे अपीलान्ट वादिया व रेस्पोडेन्ट सं. 1 प्रतिवादी उपस्थित हुए जिनके आदेशिका पर हस्ताक्षर लिये गये व पत्रावली मे बिना किसी लिखित राजीनामे के अपीलान्ट वादिया की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 1 नियम 10 जाप्ता दिवानी विचाराधीन रहते हुए रेस्पोडेन्ट सं. 1 प्रतिवादी ने प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 जाप्ता दिवानी प्रस्तुत किया जिसकी अपीलान्ट वादिया को बिना नकल दिये बिना जवाब का अवसर प्रदान किये प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 जाप्ता दिवानी का गुणावगुण पर निर्णय पारित करते हुए अपीलान्ट वादिया की ओर से प्रस्तुत वादपत्र चलने योग्य नही होना मानते हुए निरस्त किये जाने के निर्णय व डिक्री पारित किये।

अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 20.06.2015 से असंतुष्ट होकर अपीलान्ट वादिया ने इस न्यायालय मे प्रथम अपील म्याद बाहर प्रस्तुत की।

अपीलान्ट वादिया की ओर से प्रस्तुत अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्टगण प्रतिवादीगण के सम्मन नोटिस जारी किये गये। प्रतिवादीगण रेस्पोडेन्ट सं. 1 जरिये अधिवक्ता उपस्थित। रेस्पोडेन्ट सं. 2 की ओर से राजकीय

राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

अधिवक्ता उपस्थित। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर शामिल पत्रावली की गई। पत्रावली वास्ते बहस अंतिम नियत की गई।

अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री से असंतुष्ट होकर अपीलान्ट वादिया ने इस न्यायालय मे प्रथम अपील म्याद बाहर प्रस्तुत की। म्याद को क्षम्य किये जाने हेतु प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 कानून म्याद अधिनियम, 1963 मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर अपील मे हुए विलम्ब को क्षम्य किये जाने का निवेदन किया।

न्यायहित मे अपीलान्ट वादिया की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 कानून म्याद अधिनियम, 1963 मय शपथ पत्र स्वीकार किया जाकर अपीलान्ट वादिया की ओर से प्रस्तुत अपील अन्दर म्याद मानी जाती है।

अधिवक्ता अपीलान्ट वादिया ने अपनी बहस मे अपील मेमो मे वर्णित तथ्यो को पुनः दोहराते हुए निवेदन किया कि अपीलान्ट वादिया ने अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे रेस्पोडेन्टगण प्रतिवादीगण के विरूद्ध घोषणा व स्थायी निषेधाज्ञा का वादपत्र मोजा पारोली की आराजी संख्या 526, 622, 648, 649, 650, 658, 693, 694, 927, 1007, 1025 कुल किता 11 कुल रकबा 3.58 हैक्टेयर कृषि आराजीयात के सम्बन्ध मे प्रस्तुत किया जो दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोडेन्टगण प्रतिवादीगण को सम्मन नोटिस जारी किये गये। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे अपीलान्ट वादिया ने दिनांक 25.03.2015 को प्रार्थना पत्र आदेश 1 नियम 10 जाप्ता दिवानी प्रस्तुत किया। उक्त प्रार्थना पत्र के विचाराधीन रहते हुए राज्य सरकार के निर्देशानुसार उक्त पत्रावली राजस्व लोक अदालत कैम्प कोर्ट रोलाहेडा मे नियत की गई जिसमे उभयपक्ष उपस्थित हुए। रेस्पोडेन्ट सं. 1 प्रतिवादी ने प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 जाप्ता दिवानी प्रस्तुत कर वादपत्र को विधि विरूद्ध होना मानते हुए निरस्त किये जाने का निवेदन किया। उक्त प्रार्थना पत्र की अपीलान्ट वादिया को नकल दिये बगैर व सुनवाई का अवसर दिये बगैर अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय ने रेस्पोडेन्ट सं. 1 प्रतिवादी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर लोक अदालत के तहत बिना किसी लिखित राजीनामे के अपीलान्ट वादिया की ओर से प्रस्तुत वादपत्र निरस्त किये जाने के निर्णय व डिक्री पारित किये है जो लोक अदालत की भावना के विपरीत होने से अपीलान्ट वादिया की ओर से प्रस्तुत अपील स्वीकार किये जाने योग्य है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट सं. 1 प्रतिवादी ने अपनी बहस मे निवेदन किया कि अपीलान्ट वादिया ने रेस्पोडेन्ट सं. 1 प्रतिवादी के विरूद्ध विधि विरूद्ध वादपत्र प्रस्तुत किया। अपीलान्ट वादिया ने रेस्पोडेन्ट सं. 1 की पत्नि होना बताते हुए वादपत्र प्रस्तुत किया है जबकि विधि के अनुसार पति व पत्नि एक ही युनिट मानी जाती है। पति के जीते जी पत्नि को किसी प्रकार का वादपत्र प्रस्तुत करने का अधिकार नही रहता है। उक्त आपत्ति रेस्पोडेन्ट प्रतिवादी ने अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे प्रस्तुत की। उक्त आपत्ति पर अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय के द्वारा अपना निर्णय पारित करते हुए अपीलान्ट वादिया का वादपत्र विधिविरूद्ध होना मानते हुए प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 जाप्ता दिवानी स्वीकार कर वादपत्र को निरस्त करने मे किसी प्रकार की वैधानिक त्रुटि नही की है। अपीलान्ट वादिया की ओर से प्रस्तुत अपील सारहीन होना बताते हुए अपील निरस्त किये जाने का निवेदन किया।

राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट सं. 2 प्रतिवादी ने अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री को विधिसम्मत होना बताते हुए अपीलान्ट वादिया की ओर से प्रस्तुत अपील निरस्त किये जाने का निवेदन किया।

हमने उभय पक्षकारान के अधिवक्ताओ की बहस पर विधिपूर्ण मनन किया। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली मे प्रस्तुत राजस्व रेकार्ड का गहनता से अवलोकन किया। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे अपीलान्ट वादिया ने रेस्पोडेन्टगण प्रतिवादीगण के विरूद्ध घोषणा व स्थायी निषेधाज्ञा का वादपत्र प्रस्तुत किया जो दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोडेन्टगण प्रतिवादीगण के सम्मन नोटिस जारी किये गये। रेस्पोडेन्टगण प्रतिवादीगण की दिनांक 25.03.2015 तक कोई तामील नही हुई। उक्त पत्रावली मे दिनांक 25.03.2015 को अपीलान्ट वादिया ने प्रार्थना पत्र आदेश 1 नियम 10, आदेश 6 नियम 17 व धारा 151 जाप्ता दिवानी का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। उक्त प्रार्थना पत्र की सुनवाई किये बगैर उक्त पत्रावली को राजस्व लोक अदालत कैम्प कोर्ट रोलाहेडा मे नियत की गई। राजस्व लोक अदालत मे उभयपक्षकारान उपस्थित हुए जिनके आदेशिका पर हस्ताक्षर करवाये गये। रेस्पोडेन्ट सं. 1 प्रतिवादी ने आदेश 7 नियम 11 जाप्ता दिवानी प्रस्तुत किया जिसकी नकल अपीलान्ट वादिया को दिलाये बगैर बिना सुनवाई का अवसर दिये अपीलान्ट वादिया की ओर से पूर्व मे प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 1 नियम 10 जाप्ता दिवानी व आदेश 6 नियम 17 व धारा 151 जाप्ता दिवानी का निस्तारण किये बगैर अपीलान्ट वादिया की ओर से प्रस्तुत वादपत्र को बिना किसी विश्लेषण किये यह मानते हुए कि पति भुवाना के जीवित रहते हुए पत्नि का किसी प्रकार का कोई हक नही बनता है के आधार पर अपीलान्ट वादिया का वादपत्र निरस्त किये जाने के निर्णय व डिक्री पारित किये है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री विधिसम्मत नही होने से अपीलान्ट वादिया की ओर से प्रस्तुत अपील स्वीकार किये जाने योग्य है।

फलस्वरूप अपील अपीलान्ट वादिया स्वीकार की जाकर अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चित्तौड़गढ के प्रकरण संख्या 34/2015 रेवेन्यू वाद मे पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 20.06.2015 निरस्त किये जाकर पत्रावली अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय को इन निर्देशो के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि अपीलान्ट वादिया की ओर से पत्रावली मे प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 1 नियम 10 जाप्ता दिवानी व प्रार्थना पत्र आदेश 6 नियम 17 व धारा 151 जाप्ता दिवानी, रेस्पोडेन्ट प्रतिवादी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 जाप्ता दिवानी पर उभयपक्षकारान को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए आदेश 20 नियम 5 जाप्ता दिवानी की पालना करते हुए अजसरे नव निर्णय पारित करे। उभयपक्षकारान सुनवाई हेतु अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे दिनांक 14.03.2023 को स्वयं उपस्थित रहे।

निर्णय आज दिनांक 30.01.2023 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली निर्णय व आदेश की सत्यप्रति के साथ अग्रिम कार्यवाही हेतु अविलम्ब लौटायी जावे।

राजस्व अपील प्राधिकारी चित्तौड़गढ (राज.)

(हरिसिंह मीना)
राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ (राज0)